संख्या डी-12015/83/2013-प्रशा-III

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

...

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 20 जून, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- **वैशाली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में निवासरत शहरी विकास मंत्रालय के कर्मचारियों हेतु प्राधिकृत चिकित्सा परिचर (एएमए) के रूप में निजी चिकित्सक की नियुक्ति।**

***

अधोहस्ताक्षरी को श्री महेश चंद्र, अवर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के उपरोक्त विषय पर अनुरोध दिनांक 15.10.2012 का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश प्राप्त हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार **वैशाली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)** में निवासरत शहरी विकास मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए डॉ. एच. पी. सिंह, एमबीबीएस, डीसीएच को एएमए नियम, 1944 के अनुसार **दिनांक 21.06.2013 से 20.06.2014 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावशील मानते हुए, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्राधिकृत चिकित्सा परिचर के रूप में घोषित किया गया हैः-**

(i) प्राधिकृत चिकित्सा परिचर केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के अंतर्गत निर्दिष्ट दरों पर परामर्श एवं टीका शुल्क लेंगे।

(ii) प्राधिकृत चिकित्सा परिचर केन्द्रीय सेवाएं (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में उल्लिखित प्रावधानों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करेगा।

(iii) इस नियुक्ति को निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व बिना कोई कारण बताए अथवा बिना कोई सूचना दिए समाप्त किया जा सकता है।

हस्ता./-

(आई.एम.खान)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपिः-

1. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

2. डॉ. एच. पी. सिंह, एमबीबीएस, डीसीएच, 349-सेक्टर-4, वैशाली, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
3. डीजीएचएस, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. प्रशासन I, II एवं IV अनुभाग।
5. श्री महेश चंद्र, अवर सचिव (सतर्कता III) और वैशाली, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में निवासरत शहरी विकास मंत्रालय के सभी कर्मचारी।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि मंत्रालय की वेबसाइट में 'क्विक एक्सेस' शीर्ष के अधीन 'एएमए' (प्राधिकृत चिकित्सा परिचर) के उप शीर्षक के साथ इसे सृजित करें और उसमें इस कार्यालय ज्ञापन की प्रति को अपलोड करें।
7. सूचना पटल/स्वीकृति फोल्डर/एएमए नियुक्ति की मुख्य पत्रावली।

(आई.एम.खान)
अवर सचिव, भारत सरकार